न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 13/2021(2021/00178)

अनवान : –

बजरंग पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. जगन्नाथ पुत्र मघाराम जाति मेघवाल निवासी मकान नं. 765, हिसार।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता
अन्तर्गत धारा 8(2) राज0 को0 कन्डीशन सपठित
धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री महेन्द्र जांगिड़ प्रार्थी
श्री मुंशीराम गोस्वामी अप्रार्थी सं. 1

आदेश दिनांकः 26/11/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 12 बीएचडी के मु0न0 3 के किला न0 6/2 की 0.126 है0, किला न0 15/2 की 0.127 है0, मु0 न0 4 के किला न0 9 ता 12 की कुल 1.012 है0 इस प्रकार कुल किता 6 की कुल 1.265 हैक्टेयर नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी बजरंग के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थी के खातेदारी भूमि के पास चिपते ही चक 12 बीएचडी के मुरब्बा न0 3 के किला न0 3 ता 5 प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0 न0 4 के किला न0 1 व 2 प्रत्येक की 0.253 है0 इस प्रकार कुल किता 5 की कुल 1.265 हैक्टेयर नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी जगन्नाथ के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जगन्नाथ ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु सहमति जाहिर की गई, अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट का जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली हैं।

पत्रावली को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2021 ग्राम पंचायत डोभी में सुनवाई हेतु लिया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई, दौराने बहस उभयपक्षकारान ने मुताबिक जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार रास्ता स्वीकृत हेतु निवेदन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 13/2021 बजरंग बनाम जगन्नाथ आदि बाबत रास्ता

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि **अप्रार्थी जगन्नाथ के नाम रोही मौजा चक 12 बीएचडी के मु0 न0 4 के किला नम्बर 2 में पूर्वी सीमा से चिपते हुये उत्तर से दक्षिण की ओर 20 फीट चौड़ा रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावें व उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड, हॉल जमाबन्दी एवं नक्शा में किया जावें** तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/11/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़